कोयले का वाणिज्यिक खनन

आत्मनिर्भर भारत को बड़ा प्रोत्साहन

हम आज न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन की नीलामी की शुरूआत कर रहे हैं, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से मुक्त कर रहे हैं।

18 जून, 2020

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अध्याय

प्रस्तावना 01

1. सुधारों की आवश्यकता..... 02
2. सरकार की नीति, एक नया मार्ग..... 06
3. कोयले की क्षमता का दोहन : आत्मनिर्भर भारत के लिए नई आशाएं- पहले और बाद में..... 10
4. नीलामी प्रक्रिया को समझना..... 15
5. नीलामियों की सफलता..... 17
6. कोयला क्षेत्र में नये युग का आरंभ..... 20
7. नीलामी के अगले दौर में सुधारों का सिलसिला..... 23
8. उद्योग जगत द्वारा समर्थन, विशेषज्ञों द्वारा सराहना..... 25
9. खबरों में नीलामी..... 29

प्रस्तावना

जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कार्यभार संभाला था, तब कोयला क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ था। पूर्व सरकार द्वारा कैप्टिव उपयोग के लिए आवंटित कोयला ब्लॉकों को उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था। पूरे क्षेत्र में सुधार करने के लिए मोदी सरकार ने व्यवस्थित और सुसंगत कदम उठाए। नीलामियों के माध्यम से उद्योग जगत को ब्लॉक वापस करने के लिए कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 नामक कानून के माध्यम से एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया गया। उद्योग और स्टेकधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सरकार बिना किसी प्रतिबंध के कोयला खानों की खुली नीलामी के लिए मानदंड लेकर आई।

अध्याय 1

सुधारों की आवश्यकता

विश्व में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार होने के बावजूद भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। हाल ही में घरेलू कोयला उत्पादन में वृद्धि के बाद भी देश अपनी वार्षिक कोयले की आवश्यकता का पांचवां हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत ने वर्ष 2019-20 में लगभग 250 मि.ट. कोयले के आयात पर 1.5 लाख करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा खर्च की। यदि हमें आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है तो कोयले के आयात पर निर्भरता कम करनी होगी।

जून 2020 में देश में कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के 45 वर्षों से भी अधिक समय के बाद भारत सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला क्षेत्र खोला। हालांकि लंबे समय से कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने पर चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन ठोस कदम मार्च 2017 में उठाया गया जब वाणिज्यिक कोयला खनन पट्टों की नीलामी के लिए सरकार द्वारा एक चर्चा पत्र प्रकाशित किया गया और स्टेकधारकों से टिप्पणियां मांगी गई। विभिन्न उद्योग सहभागियों और अन्य स्टेकधारकों के साथ किए गए परामर्श के आधार

पर, वाणिज्यिक खनन पट्टों की नीलामी के लिए कार्य पद्धति को अंतिम रूप दिया गया और फरवरी, 2018 में सरकार द्वारा अनुमोदन दिया गया। चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड का उत्पादन कोयले की गैर-कैप्टिव उद्योग की मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं है, इसलिए कोयले का आयात बढ़ गया है। इस मांग को पूरा

देश का कोयला क्षेत्र कैप्टिव और नॉन-कैप्टिव के जाल में फंसा हुआ था। इसे प्रतिस्पर्धा से बाहर रखा गया था; पारदर्शिता एक बड़ा मुद्दा था।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

करने और घरेलू उद्योग में कोयले के मुक्त व्यापार के लिए बाजार तैयार करने हेतु कोयला ब्लॉकों की वाणिज्यिक नीलामी देश के लिए अपरिहार्य है।

इसके अलावा, देश के विकास के लिए कोयले की आवश्यकताएं तेजी से बढ़ रही है। नीति आयोग की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के मसौदे के अनुसार 2030 तक कोयले की मांग 1.3-1.5 बिलियन टन तक बढ़ने की उम्मीद है। कोल इंडिया लिमिटेड और अन्य सरकारी कंपनियां अकेले अपने उत्पादन के जरिए इस मांग को पूरा नहीं कर सकती हैं।

उल्लेखनीय है कि चीन दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है और अपने कोयला भंडारों का व्यापक दोहन कर विकास को नई गति दे रहा है। हम जनसंख्या के मामले में लगभग चीन के करीब हैं और हम विकास के मामले में आगे निकलने की अभिलाषा रखते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जल्द से जल्द अपने कोयला भंडारों का व्यापक उपयोग करके हम देश के विकास को नई गति और ताकत दें।

अध्याय 2

सरकार की नीति- एक नया मार्ग

कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिए निजी कोयला खनन को अनुमति देने की नीति लंबे समय से अस्तित्व में है। तथापि, यह निजी क्षेत्र को उत्साहित करने में विफल रही थी। मोदी सरकार ने इस स्थिति के समाधान के लिए पिछले छह वर्षों में काफी काम किया। निवेशकों के लिए इसे न्यायसंगत बनाने के लिए सरकार ने कई

कदम उठाए हैं ताकि कोयला क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। खनन योजना के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए 90 दिन से 30 दिन कर दिया गया है।

> **यदि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है तो हम सबसे बड़े निर्यातक क्यों नहीं बन सकते हैं।**
>
> - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के माध्यम से, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 और कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 में संशोधन किए गए थे। खनिज कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 ने भारत में कोयला क्षेत्र को उदार बनाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। कोयला उद्योगों के सभी पहलुओं को बदलने वाली कई उद्योग अनुकूल नीतियां इस अधिनियम के कारण ही संभव हो पाई। पहले भारत में खनन कार्य नहीं करने वाली कंपनियों को कानून द्वारा नीलामी में भाग लेने से बाहर रखा गया था। इस रोक को हटा दिया गया और इस प्रकार

घरेलू कोयला क्षेत्र में भाग लेने के लिए स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया।

सरकार ने राजस्व शेयर करने की व्यवस्था भी शुरू की, तय दरों से हटते हुए यथामूल्य प्रणाली को अपनाया गया। इसलिए जब मूल्य बढ़ते हैं तो खनिक सरकार के साथ ज्यादा शेयर करता है और अगर ये घटते हैं तो शेयरिंग घट जाती है। इसने पूरे परिदृश्य को बदल दिया और अपने कारोबार को बढ़ाने हेतु कंपनियों के लिए इस क्षेत्र को आकर्षक और गतिशील बना दिया।

कोयला क्षेत्र को उदार बनाना

भारतीय कोयला क्षेत्र को बदलने के लिए अब तक का सबसे बड़ा सुधार

- कोयला खान नीलामियों में हिस्सा लेने के लिए कोई अंत्य-उपयोग प्रतिबंध नहीं
- कोयले का मुक्त कारोबार क्योंकि उत्पादक बिना प्रतिबंध के कोयले का उपयोग कर सकता है, बेच सकता है या निर्यात कर सकता है
- पूर्व अनुभव के मानदंड को हटा दिया गया
- आंशिक रूप से अन्वेषित कोयला ब्लॉकों को भी नीलामी के लिए पेश किया गया

कोयला पीएसयू द्वारा उत्पादित कोयले की मात्रा के अलावा कोयले का उत्पादन करके मांग-आपूर्ति का अंतर पूरा किया जाएगा।

कोयला क्षेत्र को उदार बनाना

भारतीय कोयला क्षेत्र के आमूल चूल परिवर्तन हेतु अब तक का सबसे बड़ा सुधार

- प्रति टन रुपए के स्थान पर राजस्व-शेयरिंग मॉडल को अपनाना
- राष्ट्रीय कोयला सूचकांक के अनुसार बाजार-आधारित मूल्य
- शीघ्र उत्पादन के मामले में खान आवंटिती को छूट
- कोयला गैसीकरण/द्रवीकरण के अन्तर्गत मात्रा के लिए छूट

अध्याय 3

कोयले की क्षमता का दोहन

आत्मनिर्भर भारत के लिए नई आशाएं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खानों की नीलामी शुरू की थी जिसका विषय था 'कोयले की क्षमता का दोहन: आत्म निर्भर भारत के लिए नई आशाएं'। उस ऐतिहासिक दिवस पर भारतीय कोयला क्षेत्र एक नए विकास पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रतिबंधों की बेड़ी से मुक्त हो गया।

वाणिज्यिक कोयला खनन: पूर्व में तथा बाद में

पूर्व में

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला क्षेत्र में बढ़ती हुई मांग को राज्य संचालित सीआईएल द्वारा पूरा नहीं किया जा सका, जिससे मांग-आपूर्ति में बहुत अधिक अंतर हो गया। इसके, परिणामस्वरूप आयात की मांग बढ़ गई।

उद्योग, रेलवे, रक्षा, विद्युत आदि में निजी कोयला उद्योग के लिए बड़े बाजार की तुलना में, बाजार केवल विद्युत एवं सीमेंट क्षेत्र तक सिमट कर रह गया था।

जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में कार्यभार संभाला तो कोयला क्षेत्र के सामने चुनौती थी। पहले के शासन द्वारा केप्टिव उपयोग

बाद में

दशकों तक सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभुत्व और नियंत्रण जिसके कारण कोयला खनन में निजी क्षेत्र सिकुड़ा रहा, के पश्चात् भारत ने वर्ष 2020 में कोयला खनन नीलामियों के माध्यम से वाणिज्यिक कोयला खनन आरंभ किया।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 जून, 2020 को वाणिज्यिक खनन हेतु 41 कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जिसका उद्देश्य ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में आत्म निर्भरता हासिल करना तथा औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना था।

भारत ने 2020 में अपनी

हेतु आवंटित कोयला ब्लॉकों को उच्चतम न्यायालय (2014) द्वारा अवैध ठहराया गया था।

पहली वाणिज्यिक कोयला खान नीलामी संपन्न की। पहले दौर में कुल 19 कोयला खानों की नीलामी की गई है जो कि कोयला नीलामी के किसी भी दौर में सफलतापूर्वक नीलामी की गई खानों की संख्या से अधिक है।

देश के पहले वाणिज्यिक खनन नीलामी की सफलता के बाद राज्यों का लक्ष्य कुल 6656 करोड़ रुपये वार्षिक का राजस्व प्राप्त करना है।

मोदी सरकार का यह कार्य कई सोचे-समझे कदमों का परिणाम है। प्रारंभ में,ब्लॉकों को नीलामी के माध्यम से उद्योग को लौटाने हेतु एक विधान, कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के माध्यम से एक पारदर्शी तंत्र स्थापित किया गया था।

वाणिज्यिक नीलामी के प्रथम दौर में पांच राज्यों में प्रस्तावित कोयला ब्लॉक

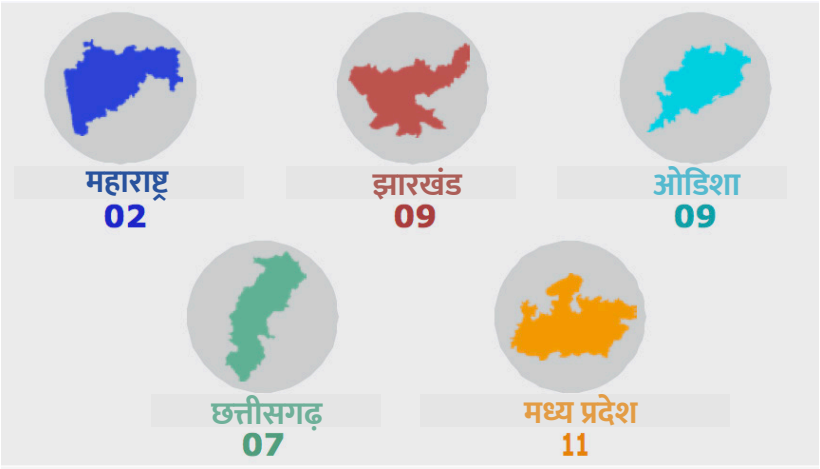

प्रधानमंत्री के विज़न और दिशा-निर्देश के अनुरूप कोयले का वाणिज्यिक खनन कोयला उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम है।

वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खान नीलामी प्रक्रिया देश में ऊर्जा सुरक्षा हेतु एक सुदृढ़ आधार बनाएगी। घरेलू कोयला उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा साथ ही व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन एवं कोयला क्षेत्र में निवेश हेतु अनेक अवसर प्राप्त होंगे।

> भारत ने कोयला और खनन क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी एवं प्रौद्योगिकी के लिए पूरी तरह खोलने का एक बड़ा निर्णय लिया है।
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

अध्याय 4

नीलामी प्रक्रिया को समझना

एमएमडीआर अधिनियम एवं सीएमएसपी अधिनियम के अंतर्गत कोयला खानों के आवंटन का अधिकार केन्द्र सरकार के पास है। सरकार ने कोयला खानों के आवंटन हेतु दो-चरण में इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया अपनाई है। बोली प्राप्त होने पर उनकी जांच की गई तथा तकनीकी जांच के अंतर्गत पात्रता का निर्धारण किया गया। बोलियों के अर्ह हो जाने पर समूची नीलामी ऑनलाईन नीलामी प्लेटफार्म पर पारदर्शी तरीके से की गई।

ऑफर की गई कुछ खानें पूर्व में आवंटित की गई थी तथा इन खानों के पूर्व आवंटितियों ने कई अनापत्तियां प्राप्त कर ली थी। नीलामी की शर्तो के अनुसार इन अनुमोदनों एवं अनापत्तियों को सफल बोलीदाता को दे दिया गया था।

इसके अलावा, कोयला मंत्रालय ने अनापत्तियों में तेजी लाने हेतु एक परियोजना प्रबंधन यूनिट स्थापित की है। परियोजना निगरानी यूनिट सफल बोलीदाता को कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन हेतु केन्द्र व राज्य की सरकारी एजेंसियों से तथा सभी संभावित लोगों से अनापत्तियां एवं सहमति प्राप्त करने में सहायता करेगा।

कोयला सुधारों को लागू करते समय यह सुनिश्चित किया गया है कि भारत की पर्यावरण सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता कमजोर न पड़े।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

यह परिकल्पना की गई थी कि वाणिज्यिक खनन हेतु कोयला खानों की नीलामी प्रक्रिया से कोयला गैसीकरण एवं कोयला द्रवीकरण जैसी नई एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने में बल मिलेगा। अत: कोयला गैसीकरण अथवा द्रवीकरण के अंतर्गत मात्रा के लिए 20% की छूट दी गई थी। इसके अलावा, खान आवंटितियों के लिए कोयला बेड मिथेन की निकासी की भी अनुमति दी गई थी। कोयला गैसीकरण एवं कोयला द्रवीकरण आधारित ऊर्जा खपत को बढ़ावा देने एवं एकीकरण के लिए प्रयास किए गए हैं ताकि कोयला खनन के कार्बन फुट प्रिंट को कम करके पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल बनाया जा सके।

नीलामी की सफलता

सीएम (एसपी) अधिनियम का ग्यारहवां दौर तथा एमएमडीआर अधिनियम का पहला दौर

कोयले के वाणिज्यिक खनन हेतु नीलामी के प्रथम प्रयास का परिणाम ऐतिहासिक रहा है। 23 खानों के लिए कुल 76 बोलियां (आवेदन) प्राप्त हुई थीं जिनमें 19 खानों के लिए 2 अथवा उससे अधिक बोलियां प्राप्त हुई थीं जो नीलामी प्रक्रिया के लिए अर्ह पाई गई थी। इन 19 खानों की संचयी पीक-रेटेड क्षमता लगभग 51 एमटीपीए थी।

कोयला नीलामी के किसी भी दौर में बोलियों की यह उच्चतम संख्या थी।

इन 19 खानों में से 11 ओपनकास्ट, 5 भूमिगत खानें एवं शेष 3 भूमिगत एवं ओपनकास्ट खानों के मिश्रण हैं। नीलामी के पिछले 10 चरणों की औसत सफलता दर 30%थी जबकि 11वें दौर की औसत सफलता दर 50% है, जो यह दर्शाता है कि उद्योग जगत का नीलामी के प्रति भारी रूझान है।

खानों का प्रकार

11
ओपनकास्ट

05
भूमिगत

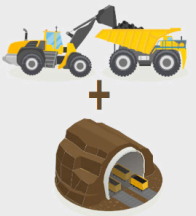

03
ओपनकास्ट + भूमिगत

औसत सफलता दर
1 से 10वां दौर बनाम 11वां दौर

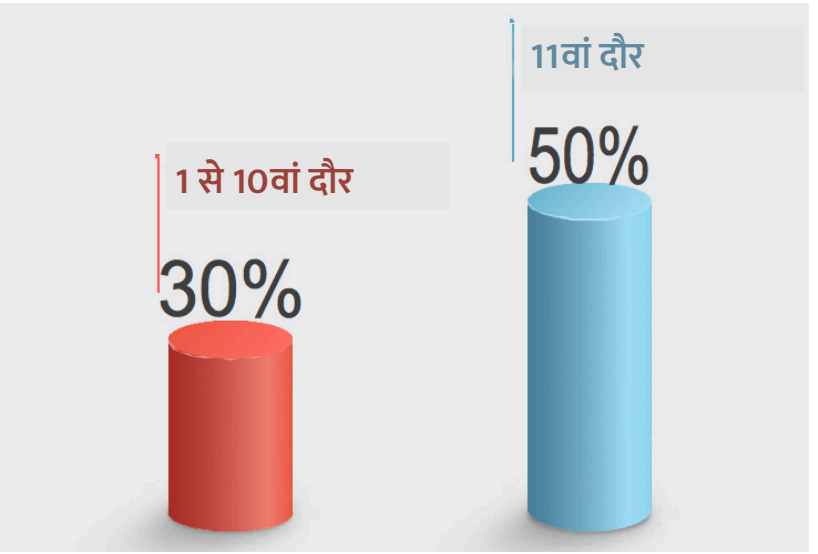

> अब कोयला उत्पादन और समूचा कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। अब बाजार कोयले का बाजार खोल दिया गया है; अत:, कोई भी क्षेत्र अपनी आवश्यकता के अनुसार कोयले की खरीद कर सकता है।
>
> - प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

देश के 5 राज्यों में नीलामीगत खानों की वाणिज्यिक बोली में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई और निर्धारित मूल्य से ऊपर मजबूत ऑफर प्राप्त हुए। छत्तीसगढ़ में एक खान के लिए 66% से अधिक का प्रीमियम प्राप्त हुआ।

कोयला क्षेत्र को खोलने के प्रति अन्य क्षेत्रों में भी रुझान देखा गया। बोली प्रक्रिया के भागीदारों में कई अन्य क्षेत्रों जैसे रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा, फार्मा आदि के भागीदार भी शामिल हुए। बोली प्रक्रिया से 'अन्त्य उपयोग' मानदंड को हटाने के निर्णय के प्रति उद्योग जगत द्वारा सकारात्मक भावना प्रदर्शित की गई। इसका प्रमाण यह था कि लगभग 65% बोलीदाता "गैर-अन्त्य उपयोगकर्त्ता" श्रेणी से थे।

अध्याय 6

कोयला क्षेत्र में नये युग का आरंभ

कोविड के कारण आई आर्थिक मंदी में वाणिज्यिक खनन एक जरूरी आशा की किरण थी। यह आने वाली सुदृढ़ आर्थिक गतिविधियों के बारे में एक मजबूत संकेत लेकर आया।

नीलामी अवसर का लाभ उद्योग जगत की कई बड़ी इकाइयों और यहां तक कि कई लघु उद्योगों ने लिया था। क्षेत्र में अधिक भागीदारों की हिस्सेदारी के परिणामस्वरूप, देश का कोयला उत्पादन बढ़ेगा और कोयला आयात पर हमारी निर्भरता घटेगी। इसके अतिरिक्त, राज्यों को वार्षिक राजस्व से 6,656 करोड़ रुपयों की आय प्राप्त होगी।

पहले दौर के आंकड़े

क्र. सं.	राज्य का नाम	खानों की सं.	रॉयल्टी और कर	राजस्व शेयर (करोड़ रु.)	खान के पीआरसी पर आधारित वार्षिक राजस्व सृजन (करोड़ रु.)	पीआरसी (एमटीपीए)	अनुमानित पूंजी निवेश (करोड़ रु.)	अनुमानित कुल रोजगार
1	छत्तीसगढ़	2	539	323	862	7.20	1,080	9,734
2	झारखंड	5	1,780	910	2,690	20.20	3,030	27,310
3	मध्य प्रदेश	8	1,157	567	1,724	10.85	1,628	14,669
4	महाराष्ट्र	2	184	137	321	1.80	270	2,434
5	ओडिशा	2	792	267	1,059	11.00	1,650	14,872
	कुल		4,452	2,204	6,656	51.05	7,658	69,019

"कमर्शियल कोल माइनिंग स्टेकहोल्डरों के लिए एक विन-विन सिचुएशन है। इससे उद्योगों, व्यवसायों और निवेश को नए संसाधन और बाज़ार मिलेंगे। राज्य सरकारों को अधिक रेवेन्यू मिलेगा और देश की एक बड़ी आबादी को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब है कि हर क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अब हमने कोयला क्षेत्र को बंधनमुक्त कर दिया है, इससे निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और इस प्रकार उत्पादकता तथा पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त, नवीनतम उपकरण, प्रौद्योगिकी और सेवाओं के उपयोग से कोयला खनन क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा और समय और लागत की बचत होगी।

कोयला क्षेत्र में निवेश से देश की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव

पड़ेगा। कोयला क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों द्वारा नए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। घरेलू उद्योगों और स्वदेशी संसाधनों को वाणिज्यिक खनन कार्यकलापों से बढ़ावा मिलेगा। पहले दौर में सफलतापूर्वक नीलाम की गई खानों से 69,000 से अधिक नौकरियों का सृजन होगा, जिसमें स्थानीय लोगों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को सबसे अधिक लाभ होगा।

अध्याय 7

नीलामी के अगले दौर में सुधारों का सिलसिला

सीएम(एसपी) अधिनियम का 12वां दौर और एमएमडीआर अधिनियम का दूसरा दौर

वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी के प्रथम दौर की अभूतपूर्व सफलता के बाद, 67 कोयला खानों के लिए नीलामी प्रक्रिया 25 मार्च, 2021 को शुरू की गई और यह वर्तमान में चल रही है। यह दौर भारत सरकार द्वारा खानों की नीलामी का अब तक सबसे बड़ा दौर है। इन खानों में छोटी और बड़ी खानें तथा पूर्णतः अन्वेषित और आंशिक रूप से अन्वेषित खानें आती हैं।

इस दौर में लगभग 36 बिलियन टन कोयले के कुल संसाधन प्रस्तावित हैं। नीलामी के इस दौर में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कोयला मंत्रालय ने कोयला खानों की रोलिंग नीलामी तंत्र को सक्षम बनाया है। इसके पहले, नीलामी अनुक्रमिक रूप में शुरू की गई थी जहां नीलामी का अगला दौर पिछले दौर की नीलामी प्रक्रिया के पूरा किया जा सकता है। हालांकि इसमें करार के नीलामी दौर की शुरूआत से लेकर निष्पादनतक लगभग 5-6

महीने लगते हैं और इसलिए एक साल में या इससे अधिक दो नीलामियों को पूरा किया जा सकता है। अतः, खानों के चयन और नीलामी के दौर की क्रमिक शुरूआत की संपूर्ण प्रक्रिया में समय लगता है।

रोलिंग तंत्र कैसे काम करता है?

इस वर्तमान दौर की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी प्रक्रिया के पूरा होने पर(अर्थात नीलामी प्रक्रिया की शुरूआत से लगभग 3-4 माह), नीलामी का अगला दौर निम्नलिखित खानों के लिए शुरू किया जाएगाः

1. वे खानें जहां कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी या केवल एक ही बोली प्राप्त हुई थी
2. कोयला मंत्रालय द्वारा चिन्हित नई खानें, यदि कोई हो

रोलिंग नीलामी तंत्र समानांतर नीलामी का संचालन करता है जिससे संभावित निवेशकों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार खानों की बेहतर उपलब्धता होती है। इससे किसी भी दौर में नीलाम की जाने वाली खानों के चयन में अधिक पारदर्शिता होती है और यह कोयले की मांग को पूरा करने तथा राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए नई कोयला खानों के शीघ्र प्रचालन से संबंधित भारत सरकार के उद्देश्य में सहायक है।

अध्याय 8

उद्योग द्वारा समर्थन

विशेषज्ञों द्वारा सराहना

“

वाणिज्यिक खनन को खोलने से आयात में काफी कमी आएगी और रोजगार का सृजन होगा। वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था और यह नीलामी पाइपलाइन वाटर सप्लाई के लिए भी की जा रही है।

एन चंद्रशेखरन
अध्यक्ष
टाटा सन्स

“

वाणिज्यिक कोयला खनन से अवसंरचना के सृजन में सहायता मिलेगी और पिछड़े इलाकों के लोगों को रोजगार मिलने में सहायता मिलेगी... उत्पादन की लागत कम हो जाएगी और लाखों नौकरियों का सृजन होगा।

अनिल अग्रवाल
अध्यक्ष
वेदांता

“

वाणिज्यिक बिक्री के लिए कोयला खनन की अनुमति देने की सरकार की वर्तमान घोषणा देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु घरेलू कोयला उत्पादन में हो रही कमियों को दूर करने के लिए सरकार की नीति में मौलिक बदलाव का प्रतीक है।

रामानुज कुमार,
पार्टनर, सिरिल
अमरचंद मंगलदास

“

वाणिज्यिक कोयला खनन और कोयला ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देना केंद्र सरकार द्वारा अपनी आत्मनिर्भर भारत पहल के रूप में की गई सबसे भरोसेमंद और प्रभावी कदमों में से एक रही है..... बिक्री के लिए कोयला खनन से कोयला आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, और अंततः अंत्य उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।

अरविंद शर्मा,
पार्टनर
एसएएम एंड
सीओ

“

वाणिज्यिक खनन से कोयला क्षेत्र का आधुनिकीकरण होगा। यह ऐतिहासिक सुधार देश के प्राकृतिक संसाधनों को अनलॉक करेगा

संगीता रेड्डी
अध्यक्ष,
एफआईसीसीआई/
फिक्की

“

यह भारत के लिए कोयला क्षेत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह कदम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में भारत सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

चंद्रजीत बनर्जी
महानिदेशक,
सीआईएल

“

वाणिज्यिक कोयला खनन और गैसीकरण में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए कोयला क्षेत्र को खोलने का सरकार का निर्णय ऐतिहासिक विसंगति को सही करता है। इससे निजी क्षेत्र के लिए निवेश, प्रतिस्पर्धा और क्षमता लाभ के अवसर आएंगे

अमिताभ कांत,
सीईओ,
नीति आयोग

“

कोयला खनन को उदार बनाने का निर्णय कोयले की उपलब्धता में सुधार करके एक महत्वपूर्ण प्रतिस्थापन प्रभाव पैदा करेगा और बढ़ती घरेलू मांग को पूरा करने में मदद करेगा। भारत के लगभग आधे भंडार- जिनमें से अधिकांश गैर-कोकिंग कोयला है- को खनन के लिए अभी तक आवंटित नहीं किया गया है इसलिए यह क्षमता अत्यधिक है।

सचिन गुप्ता,
वरिष्ठ निदेशक,
सीआरआईएसआईएल रेटिंग्स

“

वाणिज्यिक कोयला खनन एक स्वागत योग्य कदम है जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। इस क्षेत्र को उदार बनाने से प्रौद्योगिकियों में उन्नति होने की आशा है जिसके परिणामस्वरूप कोयले का तेज़ी और कुशल तरीके से उत्पादन होगा, जो समय की मांग है।

अरूण मेहता
एमडी एवं सीईओ
एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड

अध्याय 9

खबरों में नीलामी

“

कोल सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स और निवेश लोगों के जीवन को आसान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार